

राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, सेवायें, राजस्थान, जयपुर।
क्रमांक : राजपत्रित/पीजी-2018/पीसीपीएनडीटी/2018/ 663 दिनांक : 26/06/2018

समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी /
समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी एवं
समस्त नियंत्रण अधिकारी
राजस्थान ।

विषयः--सोनोग्राफी कोर्स 2018 (पीसीपीएनडीटी एक्ट-1994 एवं नियम-2014) में
उपस्थिति प्रस्तुत करने बाबत।

संदर्भः--टैनमैन, नीट पीजी काउन्सिलिंग-2018 एवं प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक के आदेश
क्रमांक 17707 दिनांक 19.6.18 के क्रम में एवं निदेशालय के समसंख्यक पत्रांक
659 दिनांक 25.06.2018 के क्रम में ।

उपरोक्त विषयान्तर्गत निदेशालय के प्रांसगिक पत्र के माध्यम से प्रदत्त किये गये
निर्देशों को निर्देशानुसार प्रत्याहरित किया जाता है । अतः किसी भी चिकित्सक को
कार्यमुक्त नहीं करे जब तक कि प्रकरण में प्रशासनिक विभाग से इस संदर्भ में कोई
दिशा- निर्देश प्राप्त न हो ।

निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक : राजपत्रित/पीजी-2018/पीसीपीएनडीटी/2018/ 663 दिनांक : 26/06/18
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशेष सहायक, माननीय स्वास्थ्य मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर ।
2. प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर ।
3. समस्त प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, राजकीय मेडिकल कॉलेज, जयपुर/जोधपुर/
अजमेर/बीकानेर/उदयपुर/कोटा/झालावाड
4. निदेशक (ईएसआई/मोबाईल सर्जिकल यूनिट) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान,
जयपुर ।
5. समस्त संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान
6. प्रसारी सचिव रूम, मुख्यालय को प्रेषित कर लेख है कि उक्त पत्र मय सूची विभागोंय
द्वे-साईट पर अप-लोड कर समन्वित को ई-मेल द्वारा भिजवायें (सूची तलमन)।

निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान, जयपुर।